प्रकरण सं0 ....अनवान.........

Continuation Note Sheet

27-5-19

प्रार्थी बृजलाल की ओर से वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 4 ता 6 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने के कारण अब इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त पत्रावली को आज की पेशी में ली जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे।

प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी के निवेदन पर एवं पत्रावली में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नक्शा से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर